

18 425-I-17

समक्ष मानूनीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावजूद।

पक्षकार -

श्री दशरथ तुमराची पिता सोनू तुमराची जाति गौड (आदिवासी)
निवासी- ग्राम बरबटी तह. व जिला जबलपुर


विरुद्ध -

अनावेदक -

1. श्री दलविंदर सिंह माकन उम्र 40 वर्ष पिता श्री एस.एस. माकन (गैर आदिवासी) पता-म.नं. 851, बड़ी ओमती तह. व जिला जबलपुर
2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

अपील अंतर्गत धारा 35(4)म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

1. मानूनीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 24/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दि. 09/01/2017 (Annexure-1) से व्यक्ति होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(4) के तहत यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री दशरथ तुमराची पिता सोनू तुमराची जाति गौड (आदिवासी) निवासी- ग्राम बरबटी तह. व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम पिपरिया कला प.ह.नं. 79 रा.नि.म. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 15/2 रक्वा 0.400 हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री दलविंदर सिंह माकन उम्र 40 वर्ष पिता श्री एस.एस. माकन (गैर आदिवासी) पता-म.नं. 851, बड़ी ओमती तह. व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 03.11.2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
3. प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय अनुमति उपरांत आवेदक के पास ग्राम सूपावारा प.ह.नं. 47, रा.नि.म. कुण्डम तह. कुण्डम जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. क्रमशः 152, 199 रक्वा क्रमशः 3.800, 0.400 कुल रक्वा 4.200 हैक्टेयर यानि कि लगभग 10.5 एकड़ भूमि असिंचित भूमि शेष बचेगी। जो कि मेरे एवं परिवार के जीवन यापन एवं भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिक्रिया प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि असिंचित है। साथ ही प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, खालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 425-एक/17

जिला - जबलपुर

दस्तावेज तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के दस्तावेज
६-२-१७	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/अ-21/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 9-1-17 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 9-1-17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये। अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है।</p> <p>3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रादंभ हुआ है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम पिपरियाकला प.ह.नं. 78 रा.नि.गं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 15/2 रक्का 0.400 हैक्टर भूमि</p>	

✓

प्रत्यर्थी कमांक -1/ गैर आदिम जनजाति सदस्य को विकाय करने की अनुमति देने हेतु अबुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा हत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विकाय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वर्गित भूमियां हैं शासन से प्राप्त भूमियां नहीं हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विकाय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त ग्राम सूपावारा प.ह.नं. 47 रा.नि.म.. कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में 4.200 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाड़ लाहन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विकाय की अनुमति मांगी गई है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विकाय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 9-1-17 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम पिपरियाकला प.ह.नं. 78 रा.नि.म. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 15/2 एकड़ा 0.400 हैक्टर को प्रत्यर्थी कमांक -1/ गैर आदिम जनजाति सदस्य को विकाय करने की अनुमति निम्न शर्तों के

✓
✓


✓

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, न्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अप्रैल 425-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाईन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</p> <p>2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी।</p> <p>3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा।</p> <p>अप्रैल तदनुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हैं।</p> <p> (एम०क० सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, न्वालियर</p> <p></p>	